न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 07 / 2023

अपीलार्थी–	बनाम	उत्तरदाता–
जैसलसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.05.2021 जो विभागीय प्रकरण सं. 12 / 2021 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.06.2023

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 12 / 2021 सरकार बनाम जैसलसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 18.05.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट जैसलसिंह, उचित मूल्य दुकानदार गोपड़ी, तहसील पच[illegible] सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य दुकान अपने स्वास्थ्य कारणों से चलाने में समस्या आने से दिनांक 18.2.20[illegible] स्तीफा प्रस्तुत किया गया। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

(वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत ज़ारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11 व 18 का उल्लंघन मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज़ कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण किसी शिकायत पर दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि अपीलांट स्वंय के आवेदन पर दर्ज किया गया था। उक्त आवेदन के संलग्न प्रस्तुत शपथ–पत्र में अपीलांट द्वारा तत्समय उचित मूल्य की दुकान में मौजूद स्टॉक सहित पोश मशीन का विवरण जमा करवाया दिया था। इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अपीलांट की अनुपस्थिति के कारण तामील नहीं हुआ क्योंकि अपीलांट अपने इलाज के लिये अहमदाबाद व जोधपुर अस्पताल में व्यस्त [illegible] को अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.12.2021 को अधीनस्थ रसद अधिकारी बाड़मेर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

समक्ष प्रार्थना–पत्र एवं प्रधान चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञा–पत्र बहाल करने का निवेदन किया । इस प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय जांच कर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी शिकायत नही की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर विभागीय पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार–पत्र के अन्तर्गत दुकान का संचालन में असमर्थ होना प्रकट करते हुए इस्तीफा प्रस्तुत करना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2, 11 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट जैसलसिंह, उचित मूल्य दुकानदार गोपड़ी, तहसील पचपदरा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य दुकान अपने स्वास्थ्य कारणों से चलाने में समस्या आने से दिनांक 18.2.20 को स्तीफा प्रस्तुत किया गया। इस पर [illegible] प्रकरण से. 12/2021 दिनांक 18.02.2021 को दर्ज करते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र की अनियर्मितता के लिये आदेश दिनांक 18.02.2021 के द्वारा निलम्बित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यक्तिगत समस्या के कारण प्रस्तुत आवेदन पर एक वर्ष बाद विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई हैं। इस कार्यवाही में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त नोटिस तामीली का कोई साक्ष्य अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर की अपीलाधीन कार्यवाही सम्बन्धी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी की सुनवाई हेतु नियत तिथियों 15.03.2021, 16.04.2021 एवं 18.05.2021 में अपीलार्थी की अनुपास्थिति अंकित है, इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी को इस कार्यवाही की कोई जानकारी नही हुई हैं तथा न ही उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ हैं वह सद्भाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर विलम्ब क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

7. अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता हैं। जहां तक अपीलांट की स्वास्थ्य समस्या का प्रश्न हैं तो अपने आवेदन दिनांक 18.02.2020 के संलग्न चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। इसके सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.02.20 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर विभागीय अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 11 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्[illegible]त अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज [illegible] उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि ज[illegible] अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 एकपक्षीय पारित किया गया। ऐसे मे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच कराये जाने एवं गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित करने मे शीघ्रता की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 12/2021 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested